न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

पंचायत निगरानी संख्या 80/2016

ग्राम पंचायत रामगढ जरिये सरपंच/पदेन सचिव ग्राम पंचायत रामगढ, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर

.....निगरानीकार

बनाम

1. श्री महावीर प्रसाद बुरड़ पुत्र श्री रोकड़चन्द, जाति जैन बुरड़, निवासी ग्राम रामगढ, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर
2. श्री राजेन्द्र कुमार सांखला पुत्र श्री सोहनलाल, जाति जैन सांखला, निवासी स्थानक गली बिजयनगर, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर
3. श्रीमति विजय कंवर पत्नि श्री सोहनलाल, जाति जैन सांखला, निवासी स्थानक गली बिजयनगर, तहसील बिजयनगर, जिला अजमेर

......अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996

उपस्थित :— 1. श्री शुभकरणसिंह चौधरी, वकील निगरानीकार की ओर से।
2. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से

—: आदेश :—

दिनांक — 16.04.2018

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम पंचायत रामगढ पंचायत समिति मसूदा द्वारा दिनांक 21.09.1977 को ग्राम रामगढ के आराजी खसरा नम्बर 1829 रकबा 00—13—00 बीघा में से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता व पति श्री सोहनलाल पुत्र श्री चौथमल, जाति सांखला जैन, निवासी ग्राम रामगढ पंचायत समिति मसूदा के पक्ष में 40X40 = 1600 वर्ग फीट भूमि का नियमानुसार राशि प्राप्त कर आवासीय प्रयोजनार्थ पट्टा संख्या 12 जारी किया गया। निगरानीकार द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता व पति के पक्ष में जारी किए गये विवादित भूमि के पट्टे को विभिन्न कारणों से विधि विरूद्व बताते हुए पट्टा निरस्त करने हेतु यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अधिनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया तथा अप्रार्थीगण के नाम नोटिस जारी किए गये। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये वकील उपस्थित आने पर पत्रावली वहस हेतु निश्चित की गई।

वहस प्रारंभ होने से पूर्व वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मियाद के बिन्दु पर प्रारंभिक एतराज दर्ज करवाते हुए कथन किया कि निगरानीकार द्वारा निगरानी बाद मियाद पेश की गई है। उनका कथन है कि विवादित पट्टा विलेख दिनांक 21.09.1977 का है जबकि ऐसे विवादित प्रकरण में निगरानी प्रस्तुती हेतु 90 दिवस की मियाद अवधि है जिससे प्रस्तुत निगरानी भारी मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। वकील अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत तर्कों का विरोध करते हुए वकील निगरानीकार ने कथन किया कि धारा 97 के तहत निगरानी पेश करने की मियाद निर्धारित नहीं है। धारा 97(3) में 90 दिवस की अवधि धारा 97(1) में पारित

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

आदेश को पुर्नविलोकन करने की है न कि निगरानी पेश करने की है। उन्होंने यह भी कथन किया कि निगरानी सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय को है अतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत तर्क आधारहीन है। निगरानी गुणावगुण पर निर्णित की जावे।

हमने उभयपक्ष के वकीलों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 97 के तहत निगरानी पेश करने की कोई मियाद निर्धारित नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(1) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "राज्य सरकार स्वप्रेरण से या किसी भी हितबद्व व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थाई समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिये मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी मामले में राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उतर दिया या पुर्नविचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिये तो यह तद्नुसार आदेश पारित कर सकेगी।" इससे स्पष्ट है कि धारा 97(1) में निगरानी करने की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत तर्कों को खारिज करते हुए निगरानी गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। वकील निगरानीकार ने प्रार्थना पत्र में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता व पति के पक्ष में जारी किया गया आक्षेपीय पट्टा विधि विरूद्व तरीके से जारी किया गया है। उनका कथन है कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता व पति को पंचायत अधिनियम के विरूद्व तत्कालीन सरपंच श्री रंगलाल पुत्र चौथमल जो कि पट्टाधारी का भाई है के द्वारा विधि विरूद्व तरीके से आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है। परिवार हित में अनियमित आवंटन किये जाने के कारण नियम विरूद्व होकर पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 48 (3)(4) का उल्लंघन है। वकील निगरानीकार ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.02.2015 से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता व पति की दिनांक 15.01.1985 को मृत्यु होने के उपरान्त बिना ग्राम पंचायत की अनुमति के विक्रय पत्र में विरासत दर्शाते हुए पुत्र व पत्नी को वारिस बताकर पंचायतीराज आम चुनाव 2015 की आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए पंचायत आबादी भूमि का नियमों के विपरीत जाकर क्रय किया है जो न्याय–नियम व विधि के आज्ञापक सिद्वांतों के प्रतिकूल है। उन्होने आगे कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता व पति के हक में आवंटित पट्टे के पट्टा नक्शा व मौका नक्शा में मिलान नहीं है जो पूर्णतः अनियमित होकर पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 140 से 165 व धारा 48 (3)(4) का उल्लंघन है। आक्षेपीय पट्टे का क्षेत्रफल 1600 वर्गफीट है एवं पट्टा मूल्य 101/– रूपये है जो कि बहुत न्यून राशि होकर अनियमित है। आक्षेपीय पट्टे पर ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव के हस्ताक्षर अंकित नहीं है एवं पट्टा जारी दिनांक से लगभग 30–40 वर्ष के पश्चात भी भूमि मौके पर रिक्त पड़ी है एवं वादग्रस्त पट्टे की भूमि पर पट्टाधारक क्रेता का किसी भी प्रकार का कब्जा या निर्माण आदि मौके पर नहीं है। भूमि राजस्व रेकार्ड अनुसार आराजी खसरा नंबर 1829 रकबा 00–13–00 बीघा किस्म गै0मु0 आबादी दर्ज है किन्तु पट्टा प्रति पर अंकित नहीं है, फलस्वरूप किस भूमि का पट्टा दिया गया है स्पष्ट नहीं होता है। उन्होने यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा मौका निरीक्षण हेतु गठित कमेटी की मौका रिपोर्ट दिनांक 06.08.2015 व विकास अधिकारी, पंचायत समिति मसूदा द्वारा दिनांक 28.06.2016 की जांच

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट में भी पट्टा पूर्णतया अनियमित होने, भूखण्ड धारक का कब्जा नहीं होने, भूखण्ड सार्वजनिक उपयोग हेतु रिक्त होने व पट्टा पर आबादी खसरा संख्या का अंकन नहीं होना अंकित किया गया है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि निगरानी याचिका स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता व पति के पक्ष में जारी किया गया आक्षेपीय पट्टा विलेख निरस्त किया जावे।

वकील निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि निगरानीकार द्वारा निगरानी में समस्त गलत तथ्य अंकित किये गये है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता व पति के द्वारा पंचायत राज अधिनियम में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत विवादित खसरा नम्बर 1829 जो राजस्व रेकार्ड में गै0मु0 आबादी भूमि है नियमानुसार आक्षेपीय पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी का यह कथन गलत है कि तत्कालीन सरपंच श्री रंगलाल पुत्र चौथमल द्वारा पंचायत अधिनियम के विरूद्व अपने परिचित को लाभान्वित करने हेतु आक्षेपीय पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रावधानों के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता व पति के पक्ष में नियम 156 व 158 के अन्तर्गत नियमानुसार राशि ली जाकर आक्षेपीय पट्टा विलेख जारी किया गया है। प्रार्थी का यह कथन भी गलत है कि पट्टा विलेख पर सरपंच/ग्रामसेवक के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। उन्होने आगे कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी होने के लगभग 40 वर्ष पश्चात आक्षेपीय पट्टे को चुनौती दी गई है जो कि राजनैतिक द्वैषतावश की गई कार्यवाही है। पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 140 से 165 में प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने में किसी भी प्रकार की अनियमितता होने पर पट्टा निरस्त किया जा सकता है किन्तु प्रस्तुत निगरानी याचिका में पट्टा जारी करने में क्या अनियमितता हुई है, स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादग्रस्त पट्टा विलेख जारी होने के पश्चात से ही क्रेता/पट्टाधारी द्वारा मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करवाया गया है किन्तु निगरानीकार द्वारा पट्टा विलेख को लगभग 30–40 वर्षों पश्चात चुनौती दी गई है। इतनी अधिक अवधि व्यतीत होने के उपरान्त आक्षेपीय पट्टा विलेख को चुनौती दिया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। निगरानीकार द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 140 से 165 का उल्लंघन होकर पट्टा विलेख अनियमित रूप से जारी किया जाना तो बताया है किन्तु पट्टा जारी करने में हुई अनियमिता को स्पष्ट नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार आवेदन पर नियम 156 व 158 के अन्तर्गत नियमानुसार राशि प्राप्त कर आक्षेपीय पट्टा विलेख जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई गई है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 16.04.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलेक्टर अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलक्टर
अजमेर

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
अपर कलेक्टर, अजमेर

Scanned by CamScanner